## भाग ४ (ग)

## प्रारूप नियम

# उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/ 2451

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2020

पक्षकारों, अधिवक्ताओं, साक्षियों एवं अभियुक्तों की अनुपलब्धता के कारण न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले विलंब से बचने के लिए, प्रकरणों की सुनवाई के साथ—साथ न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ साक्षियों के साक्ष्य के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए एक उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा एवं दृश्य—श्रृत्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य विधियों की अति आवश्यकता है। त्वरित विचारण एवं त्वरित न्याय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक अच्छा साधन है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी एकीकृत वेब तकनीक होगी जो साक्षियों, अभियुक्तों और अन्य पणधारियों की इंटरनेट/इंट्रानेट, वर्चुअल प्रायवेट नेटवर्क (VPN) में निर्बाध रूप से वलने में सक्षम होगी।

अतएव, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227, सहपित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 23 एवं दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालय के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से संबंधित अभ्यास एवं प्रक्रिया को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

# नियम अध्याय—एक प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, लागू होना एवं प्रारम्भ .-
  - (एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑडियो़-विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज रूल्स, 2020" है।
  - (दो) ये नियम न्यायालयों पर लागू होंगे।
  - (तीान) ये नियम शासकीय राजपत्र में उसकी अधिसूचना की दिनांक से लागू होंगे।

# 2. परिभाषाएं .-

- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो,--
  - (क) "अधिवक्ता" से अभिप्रेत और सम्मिलित है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन संधारित किसी रोल में दर्ज अधिवक्ता एवं इसमें शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजन के विभाग के अधिकारीगण भी सम्मिलित होंगे:
  - (ख) "आयुक्त" से अगिप्रेत है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) अथवा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या किसी अन्य तत्त्सगय प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अधीन आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति;
  - (ग) "समन्वयक" से अभिप्रेत है नियम 5 के अधीन समन्वयक के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

- (घ) "न्यायालय" से अगिप्रेत है 'व्यवहार न्यायालय' जो कि व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किये गये हैं, आपराधिक न्यायालय जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय के अतिरिक्त) में परिभाषित किया गया है, किसी विशेष अधिनियम के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, मध्य प्रदेश राज्य किशोर न्याय बोर्ड और इसमें भौतिक न्यायालय एवं आगासी न्यायालय अथवा अधिकरण समित्रत हैं:
- (ड.) "न्यायालय बिन्दु" से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष अथवा एवं अथवा अधिक स्थान जहाँ कि न्यायालय भौतिक रूप से आयोजित की जाती है, अथवा वह स्थान जहाँ कोई आयुक्त अथवा कोई जांचकर्ता अधिकारी, न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही करता है;
- (च) "न्यायालय कक्ष" से अभिप्रेत है वह स्थान अथवा कक्ष अथवा बंद स्थान जहाँ न्यायाधीश के समक्ष विधि को न्यायालय आयोजित किया जाता है:
- (छ) "न्यायालय उपयोगकर्ता" से अभिप्रेत है न्यायालय बिंदु पर वीडियो कॉन्फ्रेंरिंग के माध्यम से न्यायालय प्रक्रिया में भाग लेने वाले उपयोगकर्ता एवं इसमें न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश भी सम्मिलित है:
- (ज) "नामविर्दिष्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर" से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा अनुगोदित सॉफ्टवेयर ;
- (झ) "इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेख" का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन समनुदेशित है ;
- (ञ) "आपवादिक परिस्थिति" में सिम्मिलित है महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ, जो प्रभावी न्याय प्रशासन के लिए समीवीन हैं तथा अन्य मामले जो अधिवक्ताओं, अभियुक्तों, साक्षियों अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति की सुरक्षा से संबंधित हैं, जिनकी उपस्थिति न्यायालय में अपेक्षित है एवं इसमें ऐसी घटना एवं परिस्थिति सम्मिलित हैं जिसे न्यायालय द्वारा "आपवादिक परिस्थिति" घोषित किया जाए;
- (ट) "सीधी लिंक" से अभिप्रेत है व उसमें सम्मिलत है लाइव टेलीविजन लिंक, शृंब्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन अथवा अन्य व्यवस्थाएं जिनके द्वारा कोई साक्षी, कोई अभियुक्त, पक्षकार, प्लीडर, अधिवक्ता(गण) अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसका न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना अपेक्षित है, न्यायालय कक्ष से भौतिक रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी साक्ष्य देने एवं प्रति परीक्षण किए जाने अथवा तर्क प्रस्तुत करने अथवा न्यायालय की सहायता करने अथवा किसी

न्यायिक प्रक्रिया में किसी अन्य प्रयोजनार्ध तकनीक का प्रयोग करते हुए सुदूर संवार के द्वारा, आगासी रूप से न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहता है;

- (ठ) "संस्थागत दूरस्थ बिंदु" से अभिप्रेत है न्यायालय कक्ष अथवा न्यायालय प्रक्षेत्र में एक या अधिक वे स्थान जहाँ से न्यायालय बिंदु के साथ दृश्य-श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज को सुगग बनाने के लिए दूरस्थ बिंदु स्थापित किया जाता है;
- (अ) "दूरस्थ बिंदु" वह स्थान जहाँ किसी व्यक्ति अथवा किन्ही व्यक्तियों का किसी वीडियो लिंक के गाध्यम से उपस्थित अथवा उपसंजात होना अपेक्षित है;
- (ढ) "दूरस्थ उपयोगकर्ता" से किसी दूरस्थ बिंदु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाहियों में भाग लेने वाला उपयोगकर्ता अभिप्रेत है;
- (ण) "अपेक्षित व्यक्ति" में सम्मिलित है:
  - (एक) कोई व्यक्ति जिसे साक्षी के रूप में अथवा अन्यथा परीक्षण किया जाना है; अथवा
  - (दो) कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में किन्हीं कार्यवाहियों को अभिलेखित अथवा संवालित किया जाना है; अथवा
  - (तीन) कोई अधिवक्ता अथवा स्वयं कोई पक्षकार जो साक्षी का परीक्षण करने का आशय रखता है; अथवा
  - (चार) कोई व्यक्ति जिसका न्यायालय के समक्ष कथन करना अपेक्षित हो; अथवा
  - (पांच) अन्य कोई व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिकेज के अन्य साधनों द्वारा उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है;
  - (त) "नियम" से अभिप्रेत है न्यायालय हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ये नियम एवं किसी नियम, उप-नियम अथवा अनुसूची का संदर्भ इन नियमों के नियम, उप-नियम अथवा अनुसूची से संदर्भित होगा;
  - (थ) "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग" से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है श्रृव्य एवं वृश्य डाटा पारेषित करने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्कों का प्रयोग करते हुए विभिन्न स्थानों पर दो या अधिक सहभागियों के मध्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना।
- (2) शब्द व वाक्यांश जो उपयोग किए गए है परन्तु यहां परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961; नियम व आदेश (दाण्डिक); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 एवं सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है।

## अध्याय दो सामान्य सिद्धांत

- 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य—श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों को शासित करने वाले सिद्धांत.—
  - (क) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दृश्य-श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज की सुविधा का प्रयोग, न्यायिक कार्यवाहियों एवं न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों के उन सभी स्तारों पर किया जा सकता है जहाँ उपस्थित अथवा उपसंजात होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति राज्यान्तरिक, अन्तर्राज्यीय के बाहर अथवा विदेश में है।
  - (ख) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य-श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के द्वारा न्यायालय द्वारा संवालित समस्त कार्यवाहियाँ, न्यायिक कार्यवाहियाँ होंगी एवं भौतिक न्यायालय पर लागू समस्त शिष्टावार एवं प्रोटोकॉल इन आमासी कार्यवाहियों में लागू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य-श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संवालित कार्यवाहियों के लिए अनुसूची—एक में दिए गए प्रोटोकॉल का अनुसरण किया जाएगा।
  - (ग) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961; नियम व आदेश (दाण्डिक); सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसमें इसके पश्वात् व्य.प्र.स. कहा जाएगा), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (इसमें इसके पश्वात् इसे द.प्र.स. कहा जाएगा), न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसमें इसके पश्चात् इसे साक्ष्य अधिनियम में संक्षिप्त किया गया है), एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसमें इसके पश्चात् इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के रूप में संक्षिप्त किया गया है) के प्रावधानों सहित न्यायिक प्रक्रिया को लागू होने वाले किन्तु उन तक ही सीमित नहीं रहने वाले सभी सुसंगत वैधानिक प्रावधान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य-श्रुव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संचालित प्रक्रियाओं पर लागू होंगे।
  - (घ) न्यायिक कार्यवाहियों की स्वतंत्रता, निष्पक्षता व विश्वसनीयता बनाए रखने के अधीन, एवं ऐसे आदेशों के अधीन जैसा कि मुख्य न्यायापूर्ति जारी करें, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं दृश्य श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से कार्यवाहियों के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी विकसित तकनीक को अंगीकार कर सकता है जो समय सगय पर उपलब्ध हों।
  - (ड.) न्यायालय को लागू होने वाले ये नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त एवं जाँव करने वाले जाँव अधिकारी पर लागू होंगे।
  - (व) जब तक अभिव्यक्त रूप से अनुमित ना दी जाए, कोई भी व्यक्ति अथवा इकाई, न्यायालय बिन्दु अथवा संस्थागत दूरस्थ बिन्दु अथवा दूरस्थ बिन्दु में

से किसी भी बिन्दु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य श्रृव्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों द्वारा संचालित की गई कार्यवाहियों को रिकॉर्डिंग करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। उल्लंधन की दशा में यह विधि अनुसार दण्डनीय होगा।

(छ) नियम 2(1)(ण) में परिभाषित व्यक्ति व्यक्तिगत ई—मेल के द्वारा न्यायालय बिन्दु समन्वयक को, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता पहवान प्रमाण उपलब्ध कराएगा। पहवान प्रमाण तत्काल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित व्यक्ति निम्न व्यक्तिगत जानकारी नाम, माता पिता का नाम, स्थाई पता, अस्थाई पता, यदि कोई हो, न्यायालय के आदेशानुसार उपलब्ध करवाएगा। तथापि, संतुष्ट होने पर, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को पहवान प्रमाण प्रस्तुत किए बिना भी कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दे सकता है।

# 4. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनुशंसित सुविधाएं.-

न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कार्यवाहियों के संचालन हेतु निम्नलिखित उपस्कर की अनुशंसा की जाती है:

- (एक) अबाधित इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाईल डिवाईस एवं प्रिंटर :
- (दो) अबाधित पावर सप्लाई सुनिश्चित करने वाली डिवाईस;
- (तीन) वीडियो कैंगरा;
- (वार) माईक्रोफोन एवं स्पीकर;
- (पांच) डिरप्ले युनिट:
- (छह) डॉक्यूभेंट विज्ञासाईजर;
- (सात) फायरवॉल का प्रावधान;
- (आठ) एकांतता सुनिश्चित करने हेतु बैठक व्यवस्था;
- (नौ) पर्याप्त प्रकाश ;
- (दस) शांत एवं सुरक्षित स्थान की उपलब्धता, एवं
- (ग्यारह) स्केनर जिसमें भोबाईल स्केनर भी शामिल है।

## 5. प्रारंभिक व्यवस्थाएं .-

- (1) न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु जहाँ से अपेक्षित व्यक्ति परीक्षित किया जाना है, अथवा सुना जाना है अथवा उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है, दोनों ही स्थानों पर एक समन्वयक होगा। तथापि, समन्वयक दूरस्थ बिन्दु पर केवल तभी अपेक्षित किया जा सकता है जब किसी साक्षी अथवा किसी अपराध के अगियुक्त व्यक्ति को परीक्षित किया जाना है।
- (2) उन सगस्त दीवानी एवं दाण्डिक न्यायालयों में, उच्च न्यायालय अथवा संबंधित जिला न्यायाधीश, जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित दीवानी अथवा

दाण्डिक न्यायालय हैं, द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उपनियम (3) में उपबंधित न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयकों का कार्य करेंगे।

(3) निम्न में से कोई भी दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक हो सकता है:

ख्रण्ड	जहां अधिवक्ता अथवा अपेक्षित व्यक्ति	ा दूरस्थ बिन्दु समन्वयक होगा			
	निम्नलिखित दूरस्थ बिन्दु पर हो				
(क)	विदेश	मारतीय वाणिज्य दूतावास/संबंधित भारतीय दूतावास/भारत का संबंधित उच्चायोग का पदधारी/ सम्यक् रूप से			
		प्रमाणित नोट्री पब्लिक/शपथ आयुक्त			
(ख)	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अन्य राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश का न्यायालय				
(ग)		रांबंधित जिला विधिक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई प्राधिकृत पदधारी			
(ঘ)	जेल अथवा कारागार	संबंधित जेल अधीक्षक अथवा कारागार का प्रभारी अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई जिम्मेदार पदधारी			
(উ.)	चिकित्सालय, सार्वजनिक अथवा निजी	चिकित्सा अधीक्षक अथवा उनके द्वारा			
	संवालित)	विकित्सालय का प्रभार प्राप्त कोई व्यक्ति			
(ઘ)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
(छ)	सुविधा का एक अंतःवासी हो महिला कल्याण गृह, सुरक्षा गृह, आश्रय	उस नारी सुविधा का अधीक्षक या प्रभारी			
	गृह, नारी निकेतन या नारी सुविधा रो संदर्भित कोई संस्था(सापूहिक रूप रो नारी सुविधाओं रूप में संदर्भित)	अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी			
(ज)		संस्थागत सुविधा का अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी			

(\$1)	न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	प्रशासनिक कार्यालय प्रभारी अथवा उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति
(의)	किसी अन्य व्यक्ति की दशा में	राबंधित न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, जिसे वह उवित एवं उपयुक्त समझता है और जो समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएँ देने के
		लिए सहमत एवं तत्पर हो और यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाहियाँ न्यायोवित, निषक्ष तथा स्वतंत्र रूप से तथा न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार संवालित की जानी है।

- (4) जब अपेक्षित व्यक्ति उप-नियम (3) में उल्लिखित दूरस्थ बिन्दुओं में से किसी में उपस्थित है और इनमें से किसी भी स्थान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तब संबंधित न्यायालय, उस प्रमुख जिला न्यायाधीश जिसके क्षेत्राधिकार में वह दूरस्थ बिन्दु स्थित है, से समन्वयक की नियुक्ति एवं निकटवर्ती स्थान एवं उपयुक्त न्यायालय परिसर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराए जाने का औपवारिक निवेदन कर सकेगा।
- (5) न्यायालय बिन्दु एवं संस्थागत दूरस्थ बिन्दु दोनों पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगें कि नियम 4 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, जिससे कार्यवाहियाँ निर्बाध रूप से संचालित हों।
- . (6) दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि;
  - (क) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निर्दिष्ट दूरस्थ बिन्दु पर विशिष्ट कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु अपेक्षित सभी अधिवक्ता तथा/या अपेक्षित व्यक्ति अधिसूचित सगय से कम से कम 30 गिनिट पूर्व तैयार रहे;
  - (ख) कोई भी अनाधिकृत रिकार्डिंग उपकरण का प्रयोग न किया जाए;
  - (ग) जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही हो तब कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में प्रवेश न करें;
  - (घ) परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाया, सिखाया, फुसलाया, उत्प्रेरित या विवश न किया जाए एवं परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति, परीक्षण के दौरान संबंधित न्यायालय की अनुझा के बिना, किसी दस्तावेज, आलेख या उपकरण को संदर्भित न करें।
- (7) जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किया जाने वाला साक्षी यह अपेक्षा करे या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शेड्यूल निश्चित करते हुए समुवित अग्रिम सूचना देगा तथा उपयुक्त प्रकरणों में कार्यवाहियों के अमिलेख के सभी या किसी भाग की, गैर संपादन योग्य डिजिटल स्कैन्ड प्रतियों को, उपनियम (3) के अनुसार पदाभिहित संबंधित दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक के कार्यालयीन ई-मेल खाते में पारेषित कर सकेगा।

- (8) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अधिसूचित दिनांक के पूर्व, न्यायालय केन्द्र पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थागत दूरस्थ बिन्दु या दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक को प्रमाणित प्रतियाँ, प्रिंट आउट या कार्यवाहियों के अभिलेख के सभी या किसी ऐसे भाग की गैर संपादन योग्य डिजिटल रकैन्ड प्रतियों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति प्राप्त हो गई है, जो कि कथनों या साक्ष्य के रिकॉर्डिंग हेतु अथवा संदर्भ के लिए अपेक्षित हो सकती है। तथापि, अपेक्षित व्यक्ति इनका उपयोग केवल न्यायालय की अनुज्ञा से कर सकेगा।
- (9) जहाँ अपेक्षित व्यक्ति किसी ऐसे स्थान से संयोजित किया जाता है जो दूरस्थ बिन्दु नहीं है अथवा जब दूरस्थ बिन्दु पर कोई समन्वयक उपलब्ध नहीं है तब न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित व्यक्ति को पूर्ववर्ती नियम में उल्लिखित सभी प्रतियाँ प्राप्त हो जाएँ।
- (10) जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यायालय दूरस्थ बिन्दु या न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक को निम्नलिखित उपलब्ध कराने हेतु आदेशित करेगा—
  - (क) अनुवादक, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति न्यायालय की आधिकारिक भाषा से परिवित न हो:
  - (ख) संकेत भाषाओं का विशेषज्ञ, जहाँ परीक्षित किया जाने वाले व्यक्ति को भाषण एवं / अथवा श्रवण में विकृति हो;
  - (ग) दुभाषिया अथवा कोई विशेष शिक्षक, यथारिश्रति, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति या तो स्थायी / अथवा अस्थायी रूप से दिव्याँग है:
  - (घ) दस्तावेजों को पढ़ने हेतु कोई व्यक्ति, जहाँ परीक्षित किए जाने वाला व्यक्ति दृष्टिबाधित हो।

## अध्याय तीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रक्रिया

# 6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उपस्थिति, साक्ष्य एवं प्रस्तुतिकरण के लिए आवेदन.-

- (1) जहाँ कार्यवाहियाँ न्यायालय अथवा लोक अभियोजक की प्रेरणा से आरंभ की जाती है, को छोड़कर, कार्यवाही से संबंधित कोई पक्षकार अथवा साक्षी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के लिए निवेदन कर सकता है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही की मांग करने वाला पक्षकार अथवा साक्षी, अनुसूची—दो में विहित प्ररूप में अनुरोध कर ऐसा कर सकेगा।
- (2) दीवानी प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये किये गये अनुरोध के किसी प्रस्ताव के संबंध में सर्वप्रथम कार्यवाही से संबंधित अन्य पक्षकार अथवा पक्षकारों के साथ विवास विमर्श किया जाना चाहिये, सिवाय उस स्थिति में जहाँ संभव नहीं है अथवा अनुपयुक्त है, उदाहरण के लिये अत्यावश्यक आवेदनों जैसे प्रकरणों में। तथापि, न्यायालय स्वविवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

एवं श्रृव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से किसी प्रकरण की सुनवाई के लिए प्रकिया प्रारंभ कर सकता है।

- (3) ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर एवं सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनने पर एवं यह जाँचने के पश्चात् कि आवेदन निष्पक्ष विचारण को बाधित करने अथवा कार्यवाहियों में विलंब करने के आशय से प्रस्तुत नहीं किया गया है, न्यायालय उपयुक्त आदेश पारित करेगा।
- (4) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिये अनुगति देते समय न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन के लिये शेड्यूल को भी तथ कर सकता है।
- (5) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौखिक तर्क करने के लिये आयोजित की जाती है तो न्यायालय, अधिवक्ता अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षकार से लिखित तर्क एवं नजीर, यदि कोई हो तो, अग्रिग रूप से संबंधित न्यायालय की कार्यालयीन ई मेल आई.डी. पर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
- (6) व्यथ, यदि भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित किया गया है, को निर्धारित समय के अंदर जगा किया जायेगा जिसकी गणना उस दिनांक से प्रारंभ होगी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियाँ आयोजित करने का आदेश प्राप्त होता है।

## 7. समन की तामील.—

साक्षी जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किया जाना हो, को जारी समन में दिनांक, समय एवं संबंधित दूरस्थ बिंदु के स्थान को उल्लेखित करेंगे एवं साक्षी को पहवान के सबूत अथवा उस प्रभाव के शपथ पत्र के साथ स्वयं उपस्थित होने के लिये निर्देशित करेंगे। ऐसे समन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के गाध्यम से तामील किये जा सकते हैं। तथापि, समन की तामील से संबंधित विद्यमान नियम एवं अनुपस्थिति के परिणाम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित कार्यवाहियों से संबंधित समन की तामील पर लागू होंगे, जैसा कि सिप्रस एवं द्रप्रस में उपबंधित किया गया है।

## 8. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं श्रृव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज के अन्य साधनों के माध्यम से व्यक्तियों का परीक्षण .—

(1) साक्षी सहित, कोई व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जा रहा हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण किये जाने के पूर्व भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा जारी अथवा उचित रूप से मान्यता प्राप्त पहचान के दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण द्वारा पहचान का सबूत प्रस्तुत एवं संस्थित करेगा अथवा ऐसे दस्तावेज के अभाव में यथास्थिति, सि.प्र.स की धारा 139 अथवा द.प्र.स. की धारा 297, में निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही शपथ-पत्र पर यह कथन करेगा कि वह व्यक्ति जिसे कार्यवाहियों में पक्षकार अथवा साक्षी के रूप में दर्शाया जाना है, वही व्यक्ति ही जिसे आगारी सुनवाई में अमिसाक्ष्य देना

है। यथास्थिति, पहचान के सबूत अथवा शपथपत्र, की एक प्रति विरोधी पक्षकार को उपलब्ध कराई जायेगी:

परन्तु यह कि उपनियम (1) में यथा अपेक्षित पहचान के सबूत के अभाव में उपस्थित अथवा उपरांजात होने के लिये अपेक्षित व्यक्ति के पहचान की पुष्टि न्यायालय द्वारा दूरस्थ बिंदु के समन्वयक की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंरिंग के माध्यम से कार्यवाहियों के समय की जायेगी।

- (2) व्यक्ति जिसका परीक्षण किया जा रहा है, का परीक्षण समान्यतः संबंधित न्यायालय की कार्यावधि के दौरान अथवा ऐसे किसी सगय में जैसा न्यायालय उचित समझे, किया जायेगा। व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जा रहा हो को, न्यायालय बिंदू पर समन्वयक द्वारा शपथ दिलायी जायेगी।
- (3) जहां व्यक्ति, जिसका परीक्षण किया जाना हो अथवा अभियुक्त को उपस्थित होना हो, अभिरक्षा में हैं, तो यथास्थिति, कथन अथवा साक्ष्य, यथास्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है। न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पूर्व एवं पश्चात् विचाराधीन कैदी को उसके अधिवक्ता से परामर्श करने के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा।
- (4) साक्ष्य अधिनियम में साक्षियों के परीक्षण हेतु निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, साक्षी के परीक्षण के पूर्व, दस्तावेज, यदि कोई हो, जिस पर विश्वास किया जाना चाहा गया हो, को आवेदक द्वारा साक्षी को पारेषित किया जायेगा, ताकि साक्षी उक्त दस्तावेजों से परिचित हो जाये। आवेदक इस संबंध में न्यायालय में एक पावती प्रस्तुत करेगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट दस्तावेज के संदर्भ में परीक्षित किया जाना है, तो आवश्यक रूप से दस्तावेज की सम्यक् रूप से प्रमाणित छायाप्रति, साक्षी को जारी समन के साथ संलग्न होनी चाहिये। मूल दस्तावेज को संबंधित व्यक्ति, जिराका परीक्षण किया जा रहा है, के अभिसाक्ष्य के अनुसार न्यायालय बिन्दु पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये।
- (6) न्यायालय अपनी इच्छानुसार, परीक्षण किये जा रहे व्यक्ति के आवरण को अगिलिखित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (7) न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के अभिराक्ष्य के दौरान उठाई गुई आपत्तियों को अभिलिखित करेगी एवं उस पर निर्णय लेगी।
- (8) एक बार परीक्षण समाप्त होने के पश्चात्, न्यायालय परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर अनुलिपि पर प्राप्त करेगा। हस्ताक्षरित अनुलिपि न्यायिक कार्यवाही के अभिलेख का भाग होगा। परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति का अनुलिपि पर हस्ताक्षर निम्न में से किसी एक प्रकार से प्राप्त किया जायेगा :--
  - (क) यदि डिजिटल हस्ताक्षर संबंधित न्यायालय बिंदु एवं दूरस्थ बिंदु दोनों स्थानों में उपलब्ध है, तो न्यायालय बिन्दु पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुलिपि की इलेक्ट्रॉनिक प्रति

अधिकारिक ई-मेल द्वारा दूरस्थ बिंदु पर भेजी जायेगी, जहाँ उसका एक प्रिंट आउट निकाला जायेगा एवं परीक्षित किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अनुलिपि की स्कैन की हुई प्रति को न्यायालय बिन्दु पर अधिकारिक ई-मेल द्वारा पारेषित किया जायेगा। परिसाक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् हस्ताक्षरित अनुलिपि की कागजी प्रति दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा न्यायालय बिन्दु को मान्यता प्राप्त कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा अधिमानतः तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जायेगी।

- (ख) यदि जिजिटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं है तो अनुलिपि का प्रिंट आउट पीठासीन न्यायाधीश एवं पक्षकारों के प्रतिनिधियों के द्वारा, यदि कोई हो, न्यायालय बिन्दु पर हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं गैर-संपादनीय स्कैन किये हुए प्रारूप में दूरस्थ बिंदु के अधिकारिक ई-मेल खाते में भेजा जायेगा, जहाँ उसका एक प्रिंटआउट निकाला जायेगा एवं दूरस्थ बिन्दु पर परीक्षित किये जा रहे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार हस्ताक्षरित अनुलिपि का गैर-संपादनीय स्कैन किया हुए प्रारूप को दूरस्थ बिन्दु के आधिकारिक ई-मेल खाते में भेजा जायेगा, जहाँ उसका प्रिंटआउट निकाला जायेगा और उसे न्यायालयीन अमिलेख का भाग बनाया जाएगा। कागजी प्रति भी दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा न्यायालय बिन्दु को मान्यता प्राप्त कूरियर/पंजीकृत स्पीज पोस्ट के द्वारा अधिमानतः तीन दिनों के अंदर प्रेषित की जायेगी।
- (9) साक्षियों के परीक्षण की दृश्य—श्रव्य रिकॉर्डिंग कोर्ट बिन्दु पर तैयार की जाएगी। हैश वैल्यू के साथ एनक्रिप्टैंड मास्टर प्रति अभिलेख के भाग के रूप में प्रतिधारित की जाएगी।
- (10) न्यायालय, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के निवेदन पर या स्वयंगेव, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम् हितों का ध्यान रखते हुए, उस व्यक्ति की निजता की सुरक्षा हेतु उसकी आयु, लिंग, शारीरिक दशा तथा मान्य प्रथाओं एवं रीतियों जैसे पहलुओं का ध्यान रखते हुए समुवित उपायों को करने का निर्देश दे सकता है।
- (11) दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ बिन्दु पर परीक्षण किए जाने वाला व्यक्ति तथा उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनकी उपस्थित सगन्वयक द्वारा प्रशासनिक रूप से कार्यवाही के संवालन हेतु आवश्यक समझी जाती है,, कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है।
- (12) न्यायालय साक्ष्य के प्रभावी रिकार्डिंग हेतु (विशेषतः नियम 5 (ध) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु) ऐसी अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है जो तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हों।

- (13) परीक्षण, यथासंभव, व्यवधान रहित एवं अनावश्यक स्थगन को स्वीकार किए बिना जारी रखे जाएंगे। यद्यपि, न्यायालय अथवा आयुक्त, यथारिथति, यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि क्या स्थगन ग्राह्य किया जाए, और यदि किया जाए, तो किन शर्तो पर ।
- (14) किसी व्यक्ति का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण करते समय न्यायालय, सि.प्र.सं. तथा अध्याय xxIII भाग—ब, दं.प्र.सं., साक्ष्य अधिनियम एवं सूचना तकनीकी अधिनियम के उपबंधों से मार्गदर्शित होगा।
- (15) जहाँ अपेक्षित व्यक्ति न्यायालय बिन्दु अथवा संस्थागत दूरस्थ बिन्दु तक बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण पहुँचने में असमर्थ है अथवा उसकी उपस्थिति असम्यक् विलंब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, तब न्यायालय उस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संवालन को प्राधिकृत कर सकता है जहाँ ऐसा व्यक्ति अवस्थित है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय वहनीय (पोर्टेबल) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के प्रयोग हेतु निर्देशित कर सकता है। इस संबंध में प्राधिकार संबंधित समन्वयक और / या अन्य व्यक्ति को, जिसे न्यायालय उपयुक्त समझे, दिया जा सकता है।
  - (क) यदि न्यायालय उपयुक्त समझे, तो अपेक्षित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उसके निवास या कार्य के स्थान से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा दृश्य-श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक संपर्क के अन्य विधियों के माध्यम से जुड़ने हेत् अनुज्ञात कर सकता है।
- (16) न्यायालय के आदेश के अधीन रहते हुए, यदि कोई पक्षकार या पक्षकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिसाक्ष्य के रिकॉर्डिंग के समय रंखागत दूरस्थ बिन्दु पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का इच्छुक है, ऐसा पक्षकार दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित / प्रतिनिधित्व हेत् स्वयं की व्यवस्था करेगा।
- (17) जहाँ अभिलेखित किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की यह राय है कि साक्षी का साक्ष्य दस्तावेज / दस्तावेजों को दिखाए बिना प्रभावी रूप से अभिलिखित नहीं किया जा सकता, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऐसे साक्षी के परीक्षण से इंकार कर सकता है।
- 9. दूरस्थ बिन्दु पर किसी साक्षी या अभियुक्त को दस्तावेजों को प्रदर्शित किया जाना या दिखाया जाना —

यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित व्यक्ति के परीक्षण के दौरान, उस व्यक्ति को दस्तावेज दिखाना आवश्यक हो, तो न्यायालय निम्नलिखित विधि द्वारा दस्तावेज का दिखाया जाना अनुज्ञात कर सकता है.—

(1) यदि दस्तावेज न्यायालय बिन्दु पर हो, तो उस दस्तावेज की छायाप्रति या छवि दूरस्थ बिन्दु पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ई-मेल सहित, पारेषित करने के द्वारा और तत्पश्वात् दूरस्थ बिन्दु पर उसका प्रिंट आउट लेकर; (2) यदि दस्तावेज दूरस्थ बिन्दु पर हो, तो उसकी एक प्रति (गैर संपादन योग्य)/छाथाप्रति, ई—मेल सिहत, न्यायालय केन्द्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के द्वारा। दस्तावेज की हार्ड कॉपी, साक्षी तथा दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राधिकृत कूरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायालय बिन्दु को पारेषित की जाएगी।

# 10. निर्बाधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सुनिश्चित किया जाना.-

- (1) अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश में वर्णित दिनांक व समय पर विनिर्दिष्ट दूरस्थ बिन्दु से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा न्यायालय को संबोधित करेगा।
- (2) यदि कार्यवाही किसी दूरस्थ बिन्दु / बिन्दुओं से की जा रही है (नियम 5(3)(क) से 5(3)(अ) में वर्णित परिस्थितियों में) तो ऐसे दूरस्थ बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक सभी तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। तथापि, यदि कार्यवाहियाँ नियम 5 (3) (अ) के अंतर्गत वर्णित परिस्थिति में आने वाले किसी दूरस्थ बिन्दु से संचालित की जा रही है, जैसे कि किसी अधिवक्ता के कार्यालय से, तब न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संचालन हेतु सभी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुपालन को न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु दोनों स्थानों पर सुनिश्चित करेगा।
- (3) न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक संबंधित अधिवक्ता या अपेक्षित व्यक्ति के संपर्क में रहेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल सुनवाई के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उनका मार्गदर्शन करेगा। ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ताओं को आने वाली किन्हीं समस्याओं का निराकरण न्यायालय बिन्दु समन्वयक द्वारा किया जाएगा। उसके साथ ही न्यायालय बिन्दु समन्वयक ऐसे दूरस्थ उपयोगकर्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई का लिंक भी साझा करेगा।
- (4) न्यायालय बिदु पर उपस्थित समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि दूरस्थ उपयोगकर्ता द्वारा ई—मेल किया गया कोई दस्तावेज या दृश्य श्रुव्य फाइल न्यायालय बिन्दु पर सम्यक रूप से प्राप्त हो गई है।
- (5) न्यायालय बिन्दु पर समन्वयक, शेड्यूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिगानतः 30 मिनिट पूर्व, यह सुनिश्चित करने हेतु कि न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु पर सभी तकनीकी प्रणाली कार्य करने की स्थिति में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परीक्षण का संचालन भी करेगा।
- (6) शेड्यूल समय पर, न्यायालय बिन्दु समन्वयक दूरस्थ उपयोगकर्ता को न्यायालय से संयोजित करेगा।

- (7) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही की समापि। पर, न्यायालय आदेश पत्रिका में यह उल्लेख करेगा कि प्रकरण का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।
- (8) न्यायालय दूरस्थ उपयोगकर्ताओं तथा न्यायालय उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए, ध्वनि तथा संयोजन (कनेक्टिविटी) की स्पष्टता के बारे में अपनी संतुष्टि भी अभिलिखित करेगा।
- (9) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समाप्ति पर, यदि किसी दूरस्थ उपयोगकर्ता का यह मत है कि खराब दृश्य एवं/या श्रृव्य गुणवत्ता के कारण वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, तो दूरस्थ उपयोगकर्ता तुरंत न्यायालय बिन्दु पर उपस्थित समन्वयक को सूचना देगा, जो इस सूचना को अविलम्ब न्यायालय को संसूचित करेगा। न्यायालय ऐसी शिकायत पर विचार करेगा और यदि वह शिकायत में कोई सार पाता है तो सुनवाई को अपूर्ण घोषित कर सकता है तथा पक्षकारों को पुनः संयोजित करने या न्यायालय में भौतिक उपस्थिति

# करने के लिए कह सकता है। अभियुक्त तथा साक्षियों का परीक्षण.--

- (1) न्यायालय, स्वविवेक से, किसी अगियुक्त का निरोध (प्रथम न्यायिक अभिरक्षा तथा पुलिस अभिरक्षा को छोड़कर) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक संपर्क की अन्य दृश्य-श्रृट्य विधियों एवं माध्यमों द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायालय लिखित कारण दर्शित करते हुए तथा यह सुनिष्टिवत करते हुए कि साक्षी या अभियुक्त, जैसी स्थित हो, किसी भी प्रकार के प्रपीड़न, धमकी या असम्यक प्रभाव से मुक्त है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी साक्षी का परीक्षण कर सकता है या दाण्डिक विचारण में आरोप विरवित कर सकता है या दं.प्र.सं. की धारा—164 के अंतर्गत किसी साक्षी का परीक्षण कर सकता है या दं.प्र.सं. की धारा—313 के अंतर्गत किसी अभियुक्त का कथन अभिलेखित कर सकता है।
- (3) सौदा अभिवाक् गामलों में ऐसा अभियुक्त, जो पूर्व से दोष सिद्ध नहीं है, के आवेदन पर, न्यायालय स्वविवेक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित के साथ अभियुक्त की बैठक की व्यवस्था कर सकता है। न्यायालय संबंधित पक्षकारों के अभिगाषकगण को बैठक में भाग लेने का अवसर प्रदान कर सकता है। जहाँ, बैठक के पश्वात् प्रकरण का संतोषजनक निराकरण संगावित है, न्यायालय इस तथ्य को अभिलेखित करेगा तथा अपने स्वविवेक से विधि अनुसार सौदा अभिवाक के आधार पर प्रकरण का निराकरण करेगा।

### अध्याय चार सामान्य प्रक्रिया

## 12. सामान्य प्रक्रियाएँ.--

- (1) इस अध्याय में, इसके पश्यात् दर्शित प्रक्रिया, इन नियमों में अन्यथा रूप से उपदर्शित प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशिष्ट उदाहरणों के रूप में हैं, जिसमें कार्यवाहियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित की जाती है।
- (2) न्यायालय बिंदु पर समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल स्वीकृत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से संवालित की जाए। तथापि, किसी तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कारण दर्शित करते हुए, उस विशेष कार्यवाही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्वेयर के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति दे सकता है।
- (3) न्यायालय द्वारा संस्थागत दूरस्थ बिंदु के समन्वयक की सहायता से, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नियम 8 (1) एवं/अथवा नियम 8 (1) (क) के अनुसार साक्ष्य अभिलेखित किए जाते समय की जाएगी तथा उसे न्यायालय की आदेश पत्रिका में भी दर्शित किया जायेगा।
- (4) सिविल प्रकरणों में, परीक्षित किए जाने वाले व्यक्ति के कथनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिलेखित करने का अनुरोध करने वाले पक्षकारगण, न्यायालय को, तथ सगय एवं स्थान पर उक्त व्यक्ति की अवस्थिति, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किए जाने की इच्छा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा।
- (5) आपराधिक प्रकरणों में, जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति अभियोजन साक्षी है या न्यायालय साक्षी है या व्यक्ति जिसे अभियोजन हेतु कथन प्रस्तुत करना है, या जहाँ परीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति बचाव साक्षी है अथवा व्यक्ति जिसे बचाव हेतु कथन प्रस्तुत करना है, यथास्थित अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अथवा अभियुक्त, न्यायालय को, त्रय समय एवं स्थान पर उक्त व्यक्ति की अवस्थिति, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षित किए जाने की इच्छा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करेगा।
- (6) जहाँ परीक्षित किया जाने वाला अथवा उपस्थित होने व्यक्ति अभियुक्त है, अभियोजन / बचाव पक्ष के अधिवक्ता दूरस्थ बिंदु पर अभियुक्त की अवस्थिति की पुष्टि करेगें।
- (7) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है एवं न्यायालय बिंदु पर उपस्थित नहीं है, तो साक्षी के कथन (विकित्सकीय अथवा अन्य विशेषज्ञ) के अभिलेखन को सुगम बनाने के लिए न्यायालय स्वयं, साक्षी एवं अभिरक्षा में भौजूद अभियुक्त के मध्य बहु स्थलीय (गल्टी पॉइंट) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आदेश करेगा। न्यायालय

यह सुनिश्वित करेगा कि अभियुक्त के बचाव पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा नियम 8(3) में निहित सुरक्षा उपायों का पालन हो।

(8) जब भी आवश्यकता हो, दूरस्थ बिंदु पर समन्वयक को मानदेय के रूप में ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि न्यायालय द्वारा पक्षकारों के परामर्श से निर्देशित किया जाता है।

### 13. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खर्चे.-

संबंधित न्यायालय द्वारा विहित नियमों के अभाव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खर्चों को निर्धारित एवं/अथवा बाँटते समय न्यायालय निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रख सकता है :

- (1) आपराधिक प्रकरणों में, वीडियो कॉ-फ्रेंसिंग सुविधा के खर्चे जिनमें न्यायालय अगिलेख की साफ्ट प्रतियाँ /प्रमाणित प्रतियाँ तैयार करने एवं उन्हें दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक तक प्रेषित करने में अंतर्निहित खर्चे शामिल है एवं अनुवादक / द्विभाषिया / विशेष शिक्षक, यथास्थित को देय शुल्क एवं दूरस्थ बिन्दु पर समन्वयक को देय शुल्क, ऐसे पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा न्यायालय निर्देशित करे।
- (2) सिविल प्रकरणों, सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने का निवेदन करने वाला पक्षकार खर्च वहन करेगा।
- (3) उपरोक्त के अतिरिक्त, परिवादी एवं साक्षियों को खर्चे का भुगतान करने से संबंधित नियम/अनुदेश, जो सगय—समय पर प्रचलित हों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय समुवित खर्ची के संबंध में भी आदेश दे सकता है।
- (4) न्यायालय समुचित परिस्थिति में वांछित खर्चों को माफ कर सकेगा।

## 14. कार्यवाही का संचालन.-

- (1) सभी अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति, पक्षकार स्वृयं एवं / अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे शारीरिक अथवा आभासिक रूप में उपस्थित रहने की न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है (एतस्मिनपश्वात् सागूहिक रूप से प्रतिभागियों के रूप में संदर्भित), अनुसूची—एक में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
- (2) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आरंभ से पहले सभी प्रतिभागी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएँगे। तथापि, यदि कोई पक्षकार अपना चेहरा एवं नाम छिपाने का इब्छुक है तो उक्त की जानकारी न्यायालय बिन्दु समन्वयक को कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व दी जाएगी।
- (3) न्यायालय बिंदु समन्वयक, लिंक / बैठक आई.डी. / कक्ष विवरण संबंधित अधिवक्ता अथवा अपेक्षित व्यक्ति अन्य प्रतिभागी, जिन्हें न्यायालय द्वारा आभासिक रूप से उपस्थित होने की अनुगति दी गई है, के द्वारा उपलब्ध

कराई गई ई—मेल—आई.डी./मोबाईल नं. के माध्यम से भेजेगा। एक बार कार्यवाही प्रारंग होने के पश्चात्, किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को, न्यायालय की अनुमति के सिवाय, आभासिक सुनवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (4) सुनवाई में शागिल होने के पश्चात् प्रतिभागी आभासी प्रतीक्षा कक्ष (वर्चुअल लॉबी), यदि उपलब्ध हो तो, में रहेंगे जब तक कि उन्हें न्यायालय बिन्दु समन्वयक द्वारा आभासिक सुनवाई में दाखिल नहीं किया जाता।
- (5) वार्यवाही में भागीदारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा रिकार्ड की जाने वाली कार्यवाहियों में, भागीदारी की राहगति गाना जाएगा।
- (6) न्यायालय बिन्दु एवं दूरस्थ बिन्दु के मध्य लिंक की स्थापना एवं विच्छेद न्यायालय के आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- (7) न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ऐसे अधिवक्ता, अपेक्षित व्यक्ति अथवा अन्य कोई प्रतिभागी, जिन्हें दूरस्थ बिन्दु अथवा न्यायालय बिन्दु पर न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया गया है, को स्पष्ट रूप से देखा एवं सुना जा सकता है तथा वह न्यायालय को स्पष्ट रूप से देख और सुन राकता है।
- (8) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्बाध रूप से संवालित की जा सके, संवोजन में अनुभव की जाने वाली किनाईयों, यदि कोई हो, को न्यायालय बिन्दु समन्वयक के कार्यालयीन ई—मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर, जो प्रतिभागी को आभासी सुनवाई के प्रारंभ के पूर्व में दिए गए हैं, पर यथाशीघ्र न्यायालय के संज्ञान में लाना चाहिए। तत्पश्चात् किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (9) न्यायालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के गाध्यम से, जहाँ कहीं कोई कार्यवाही की जाती है, इस तथ्य का विशेष रूप से आदेश पत्रिका में उल्लेखित किया जाएगा।

# 15. विधिक सहायता क्लिनिक/शिविर/लोक अदालत/जेल अदालत तक पहुँच.-

(1) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं प्रवृत्त विधियों के अनुरूप, विधिक सहायता क्लिनिक, शिविर, लोक अदालत अथवा जेल अदालत से संबंधित कार्यवाहियों में दूरस्थ बिन्दु पर, यदि कोई व्यक्ति जेल अथवा कारागार में है, तो विधि के अनुसार कोई पंचाट अथवा आदेश पारित करने के पूर्व उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष / सचिव अथवा लोक अदालतों के सदस्यों के द्वारा परीक्षित किया जाएगा।

- (2) ऐसे पंचाट अथवा आदेश का वही प्रभाव होगा जैसे कि वह नियमित लोक अदालत अथवा जेल अदालत द्वारा पारित किया गया हो।
- (3) पंचाट अथवा आदेश की प्रति एवं कार्यवाही का अभिलेख दूरस्थ बिन्दु पर भेजा जाएगा।

# 16. प्रकरण के तृतीय पक्षकार .--

- (1) तृतीय पक्षकारों को रांबंधित न्यायालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेश पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा अपनी प्रशासनिक अधिकारित। के प्रयोग में दिए गए ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेशों से प्रत्येक न्यायालय मार्गदर्शित होगा।
- (2) जहाँ, किसी कारणवश, प्रकरण से असंबद्ध कोई व्यक्ति दूरस्थ बिन्दु पर छपस्थित है, तो कार्यवाही के प्रारंग में ही दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक द्वारा उस व्यक्ति की पहचान की जाएगी एवं उस व्यक्ति की उपस्थिति के उद्देश्य से न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। ऐसा व्यक्ति, केवल न्यायालय के आदेश के आधीन ही, उपस्थित रहना जारी रख पायेगा।

## अध्याय पांच विविध

## 17. शिथिल करने की शक्ति.--

मुख्य न्यायाधिपति यदि इस बात से संतुष्ट हों कि किसी नियम के प्रवर्तन से अत्यधिक किताई उत्पन्न हो रही है, तो वे आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को उस सीमा तक एवं उन शर्तों के अधीन त्याम कर सकते हैं अधवा शिथिल कर सकते हैं, जो कि न्यायसंगत एवं न्यायोवित रीति से मामले के निपटने के लिए अपेक्षित है।

## 18. निरसन एवं व्यावृति.-

इन नियमों के प्रारंग से ठीक पूर्व प्रवृत्त, मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2018 एवं दिशानिर्देश, यदि कोई हों, जो इन नियमों के अनुरूप हैं, उन्हें इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित एवं निरस्त, जैसी भी स्थिति हो, किया जाता है:

परन्तु यह कि इन निरसित नियमों के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश अथवा की गई कार्यवाही को इन नियमों के अनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत दिया गया या की गई कार्यवाही माना जाएगा।

## 19. अवशिष्ट उपबंध.—

वे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं किया गया हैं, न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाएँगे।

# अनुसूची-एक

- 1. सभी प्रतिभागी कार्यवाहियों की गरिमा के अनुरूप सौग्य पोशाक पहनेंगे। अधिवक्तागण अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारित पेशेवर पोशाक उचित रूप से पहनेंगे। पुलिस पदधारीगण, संबंधित कानून अथवा आदेशों के अधीन, पुलिस पदधारीगण के लिए निर्धारित गणवेश में उपस्थित होंगे। न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायालय के कर्मचारियों के लिए पोशाक वह होगी जैसा उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्धारित संबंधित नियमों में विनिर्दिष्ट की गई है। ड्रेस कोड के संबंध में पीठसीन न्यायाधीश अथवा अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 2. प्रकरण की सुनवाई के संबंध में पुकार लगाई जायेगी एवं न्यायालय के निर्देश पर उपस्थिति दर्ज की जायेगी।
- 3. प्रत्येक प्रतिभागी उन शिष्टावारों एवं प्रोटोकॉल का पालन करेगा जिनका भौतिक न्यायालय में पालन किया जाता है। न्यायाधीशों को "महोदया/महोदय" अथवा "न्यायाधीश महोदय" के रूप में संबोधित किया जायेगा। कर्मवारियों को उनके पदनाम जैसे कि "रीडर/एग्जीक्यूसन क्लर्क/कोर्ट मास्टर/स्टेनोग्राफर/डिपोजिसन राइटर" के रूप में संबोधित किया जाएगा। अधिवक्तागण को विद्वान अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में संबोधित किया जायेगा।
- 4. अधिवक्तागण, अधेक्षित व्यक्ति, व्यक्तिगण पक्षकारगण एवं अन्य प्रतिभागी उस सगय तक अपने माईक्रोफोन्स को मूक (Mute) रखेंगे जब तक उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नहीं बुलाया जाता है।
- दूरस्थ उपयोगकर्तागण यह सुनिश्वित करेंगे कि उनके उपकरण मॉलवेयर (Malware) से मुक्त हैं।

- 6. दूरस्थ उपयोगकर्तागण एवं दूरस्थ बिन्दु के समन्वयक यह सुनिश्वित करेंगे कि दूरस्थ बिन्दु शोर रहित स्थान पर स्थित हो व उचित रूप से सुरक्षित हो एवं वहाँ पर्यापा इन्टरनेट विस्तार हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यदि कोई अवांछनीय व्यवधान कारित होता है तो पीठासीन न्यायाधीश कार्यवाहियों को शून्य करने का निर्देश दे सकता है।
- 7. कार्यवाहियों के दौरान सभी प्रतिभागियों के मोबाइन फोन बंद रहेंगे अथवा एयर-प्लेन मोड में रहेंगे।
- कार्यवाहियों दौरान सभी प्रतिभागियों को कैमरा में देखने का प्रयास करना चाहिये, सवेत रहना चाहिये एवं अन्य गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिये।

# अनुसूची—दो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध प्रपत्र

1	प्रारण क्रमांक / सीएनआर नम्बर (यदि कोई हो):	
2.	Λ (	
	वाद शोषकः कॉ-फ्रेंरिंग की प्रस्तावित तिथि (दिन/माह/वर्ष):	
4	न्यायालय बिन्दु (बिन्दुओं) का रथानः	********
5.	दूरस्थ बिन्दु (बिन्दुओं) का स्थानः	
6.	दूरस्थ बिन्दु के प्रतिमागियों का नाम एवं पदः	*********
7.	वीडियो कॉन्फ्रेंस का कारणः	
	के मागले	में।
8.	कार्यवाहियों की प्रकृति : अंतिम सुनवाई 🔲 अंतरिम सुनवाई 🔲 अन्य 🦳	·
!		
-	मैंन न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के प्रावधानों (हाईपरलिंक) को पढ़ समझ लिया है। जहां तक वे गुझ पर लागू होते हैं; मैं उनसे बंधे रहने का वचन देता हूँ। न्यायालय ऐसा निर्देशित करती है, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रभार का भुगतान करने सहमत हूँ।	यदि
	आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर विनांकः	

न्यायालय बिन्दु समन्वयक के प्रयोग के लिए

> रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश

No. A-2451

With intent to avoid delay in judicial proceeding due to non-availability of parties, counsels, witnesses and accused, there is an urgent need for a user-friendly video conferencing facility and other modes of audio-visual electronic linkage for the purpose of hearing of the cases as well as recording of evidence of witnesses unable to attend the Court. The information technology is a good tool for speedy trial and speedy justice.

The video conferencing will be an integrated web technology capable of running seamlessly over Internet/Intranet, Virtual Private Network (VPN) of witness, accused and other stakeholders.

Therefore, in exercise of the powers, conferred by Article 227 of the Constitution of India, read with Section 122 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), Section 23 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 and Section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following rules regulating practice and procedure pertaining to use of video conferencing for District Courts of Madhya Pradesh, namely:-

## RULES Chapter I Preliminary

## 1. Short title, Application and Commencement.-

(i) These Rules shall be called the "The District Courts of Madhya Pradesh Video Conferencing and Audio-Visual Electronic Linkage Rules, 2020".

- (ii) They shall apply to Courts.
- (iii) They shall come into force from the date of their notification in the Official Gazette.

#### 2. Definitions.-

- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Advocate" means and include an advocate entered in any roll maintained under the provisions of the Advocates Act, 1961 and shall also include government pleaders and officers of the department of public prosecution;
  - (b) "Commissioner" means a person appointed as commissioner under the provisions of Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), or the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or any other law for the time being in force;
  - (c) "Coordinator" means a person nominated as coordinator under Rule 5;
  - (d) "Court" means Civil Courts established under Civil Courts Act,1958, Criminal Courts as defined in Code of Criminal Procedure, 1973 (other than Court of Executive Magistrate), any other Special Courts established under any Special Act, Family Courts, Juvenile Justice Board(s) in the State of Madhya Pradesh and shall includes a physical court and a virtual court or tribunal;
  - (e) "Court Point" means the courtroom or one or more places where the court is physically convened, or the place where a commissioner or an inquiring officer holds proceedings pursuant to the directions of the court;
  - (f) "Court Room" means the place or room or enclosed space in which court of law is held in front of the judge(s);
  - (g) "Court User" means a user participating in court proceedings through video conferencing at a court point and includes presiding judge of court;
  - (h) "Designated Video Conferencing software" means a software approved by the High Court for the use of video conferencing;
  - (i) "Electronic records" shall bear the same meaning as assigned under the Information Technology Act, 2000;
  - "Exceptional circumstances" includes a pandemic, natural calamities, circumstances affecting law and order where it is expedient for effective administration of justice and any other matter relating to the safety of the advocates, accused persons, witnesses or any other required to be present before the court and includes any such incident or circumstances which may be declared to be an "exceptional circumstance" by the court;

- (k) "Live Link" means and includes a live television link, audio-video electronic means or other arrangements whereby a witness, an accused, party, pleader, advocate (s) or any other person required by court to remain present in the court while physically absent from the courtroom is nevertheless virtually present in the courtroom by remote communication using technology to give evidence and be cross-examined or to present arguments or assist the Court or for any other purpose in a judicial proceeding;
- (l) "Institutional Remote Point" means the courtroom or one or more places in the court complex where the remote point is physically convened for facilitating the audio-visual electronic linkage with courts points;
  - (m) "Remote Point" is a place where any person or persons are required to be present or appear through a video link;
  - (n) "Remote User" means a user participating in court proceedings through video conferencing at a remote point.
  - (o) "Required Person" includes:
    - (i) the person who is to be examined as a witness or otherwise; or
    - (ii) person in whose presence certain proceedings are to be recorded or conducted; or
    - (iii) an advocate or a party in person who intends to examine a witness; or
    - (iv) any person who is required to make submissions before the court; or
    - (v) any other person who is permitted by the court to appear through video conferencing or other modes of audio visual electronic linkage;
  - (p) "Rules" shall mean these rules and any reference to a rule, sub-rule or schedule shall be a reference to a rule, sub-rule or schedule of these rules;
  - (q) "Video conferencing" means and includes to conduct a conference between two or more participants at different sites by using computer networks to transmit audio and video data.
- (2) The words and phrases used but not defined herein shall bear the same meaning as assigned to them in M.P. Civil Court Rules, 1961; Rules and Orders (Criminal); Code of Civil Procedure, 1908, Code of Criminal Procedure, 1973, Information Technology Act, 2000 and the General Clauses Act, 1897.

### Chapter II General Principles

# 3. General Principles Governing Video Conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.-

- (a) Video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage facility may be used at all stages of judicial proceedings and proceedings conducted by the court, where a person is required to be present or appear is located intrastate; interstate or overseas.
- (b) All proceedings conducted by a Court by way of video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage shall be judicial proceedings and all the courtesies and protocols applicable to a physical court shall apply to these virtual proceedings. The protocol provided in Schedule I shall be adhered to for proceedings conducted by way of video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.
- (c) All relevant statutory provisions applicable to judicial proceedings including, but not limited to provisions of the M.P. Civil Court Rules, 1961; Rules and Orders (Criminal); Code of Civil Procedure, 1908 (hereinafter it will be called "C.P.C.") Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter it will be called "Cr.P.C.") Contempt of Courts Act, 1971, Indian Evidence Act, 1872 (abbreviated hereafter as the Evidence Act) and Information Technology Act, 2000 (abbreviated hereafter as the IT Act), shall apply to proceedings conducted by video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.
- (d) Subject to maintaining independence, impartiality and credibility of judicial proceedings and subject to such directions as the Chief Justice may issue, courts may adopt such technological advances as may become available from time to time for ensuring proper conduction of proceedings through video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.
- (e) The rules as applicable to a court shall mutatis mutandis apply to a commissioner appointed by the court to record evidence and to an inquiry officer conducting an inquiry.
- (f) Unless expressly permitted, no person or entity, either at Court Point or at Institutional Remote Point or at Remote Point, shall be permitted to record the proceedings conducted by video conferencing or other modes of audio-visual electronic linkage. In case of violation it will be punishable in accordance with law.
- (g) The person defined in rule 2 (1)(o) shall provide identity proof as recognised by the Government of India/State Government /Union Territory to the court point coordinator via personal email. In case identity proof is not readily available the person concerned shall furnish the following personal details: name, parentage and permanent address, temporary address if any and will make available as per direction of the court, however the court may, upon satisfaction allow such person to participate in proceedings without production of identity proof.

## 4. Facilities recommend for Video Conferencing.-

The following equipment is recommended for conducting proceedings by video conferencing at the Court Point and at the Institutional Remote Point:

- (i) desktop laptop, mobile devices with uninterrupted internet connectivity and printer;
- (ii) device ensuring uninterrupted power supply;
- (iii) video Camera;
- (iv) microphones and speakers;
- (v) display unit;
- (vi) document visualizer;
- (vii) provision of a firewall;
- (viii) adequate seating arrangements ensuring privacy;
- (ix) adequated lighting;
- (x) availability of a quiet and secure space;
- (xi) scanner including mobile scanner.

## 5. Preparatory Arrangements.-

- (1) There shall be a Coordinator both at the Court Point and at the institutional Remote Point from which any required person is to be examined or heard or is directed to remain present. However, coordinator may be required at the remote point only when a witness or a person accused of an offence is to be examined.
- (2) In all civil and criminal courts, the persons nominated by the High Court or the concerned District Judge within whose jurisdiction the respective civil or criminal court is present, shall perform the functions of the coordinators at the Court Point as well as the Remote Point as provided in sub-rule (3)

(3) The coordinator at the Remote Point may be any of the following:

Clause	Where the Advocate or Required Person is at the following Remote Point	The Remote Point Coordinator shall be
(a)	Overscas	An official of the relevant an Indian Consulate / Indian Embassy / High Commission of India/duly certified Notary Public / Oath Commissioner
(b)	Court of another state or union territory within the territory of India	Any authorized official nominated by the concerned District Judge

(c)	Mediation Centre or office of	1 -		
	District Legal Services	, ,		
	Authority (including Taluka	the concerned District Legal		
<u> </u>	Legal Services Committee)	Services Authority		
(d)	Jail or prison	The concerned Jail Superintendant		
		or Officer in-charge of the priso		
		or any other responsible official		
		nominated by him		
(e)	Hospital, Public or Private,	Medical Superintendent or an		
, ,	(whether run by the Central	official authorized by them or the		
:	Government, the State	person in charge of the said		
	Government, local bodies or	hospital		
	any other person)			
(f)		The Superintendent or Officer in		
	Home, Children's Home,	charge of that child facility or an		
	Shelter Home, or any	official authorized by them		
	institution referred to as a child	-		
'	facility (collectively referred to			
	as child facilities) and where			
	the Required Person is a			
! •	juvenile or a child or a person			
	who is an inmate of such child			
	facility			
(g)	Women's Rescue Homes,	The Superintendent or officer in		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Protection Homes, Shelter	charge of that women facility or an		
	Homes, Nari Niketans or any	official authorized by them		
	institution referred to as a			
	women's facility (collectively			
	referred to as women's			
	facilities)	·		
(h)	In custody, care or employment	The Superintendent or Officer-in-		
	of any other government office,	charge of the institutional facility		
	organization or institution	or an official authorized by them		
	(collectively referred to as			
	institutional facilities)			
(i)	Forensic Science Lab	The Administrative office in-		
		charge or their nominee		
<u>(j)</u>	In case of any other person	The concerned Court may appoint		
= -		any person deemed fit and proper		

 ·.	who is ready and willing to render		
	their services as a Coordinator to		
	ensure that the proceedings are		
	conducted in a fair, impartial and		
	independent manner and according		
	to the directions issued by the		
	Court in that behalf		

- When a Required person is at any of the Remote Points mentioned in sub rules (3) and video conferencing facilities are not available at any of these places the concerned court may formally request the Principal District Judge, in whose jurisdiction the Remote Point is situated to appoint a coordinator for and to provide a video conferencing facility from proximate place and suitable court premises.
- (5) The coordinators at both Court Points and Institutional Remote Points shall ensure that requirements set out in Rule 4 are complied with, so that the proceedings are conducted seamlessly.
- (6) The coordinator at the Remote the Point shall ensure that;
  - (a) all advocates and/or required persons scheduled to appear in a particular proceeding are ready at the Remote Point designated for video conferencing at least 30 minutes before the scheduled time;
  - (b) no unauthorised recording device is used;
  - (c) no unauthorised person enters the video conference room when the video conference is in progress;
  - (d) the person being examined is not prompted, tutored, coaxed, induced or coerced in any manner by any person and that the person being examined does not refer to any document, script or device without the permission of the court concerned during the course of examination.
- (7) Where the witness to be examined through video conferencing requires or if it is otherwise expedient to do so, the Court shall give sufficient notice in advance, setting out the schedule of video conferencing and in appropriate cases may transmit non-editable digital scanned copies of all or any part of the coordinator of the concerned Remote Point designated in accordance with sub-rule (3).
- (8) Before the schedule video conferencing date, the coordinator at the Court point shall ensure that the coordinator at the Institutional

Remote Point or Remote Point receives certified copies, printouts or a soft copy of the non-editable scanned copies of all or any part of the record of proceedings which may be required for recording statements or evidence, or for reference. However, these shall be permitted to be used by the Required Person only with the permission of the court.

- (9) Where Required person is connected from a place which is not a Remote Point, or where no coordinator is available at Remote Point, court shall ensure that Required Person receives all copies as mentioned in preceding rule.
- (10) Whenever required the court shall order the coordinator at the Remote Point or at the Court Point to provide-
  - (a) a translator in case the person to be examined is not conversant with the official language of the court;
  - (b) an expert in sign languages in case the person to be examined is impaired in speech and/or hearing;
  - (c) an interpreter or a special educator, as the case may be, in case a person to be examined is differently abled, either temporarily or permanently;
  - (d) a person for reading of documents in case the person to be examined is visually challenged.

# Chapter III Procedure for Video Conferencing

# 6. Application for Appearance, Evidence and Submission by Video Conferencing.-

- (1) Any party to the proceeding or witness, save and except where proceedings are initiated at the instance of the court or public prosecutor, may move a request for video conferencing. A party or witness seeking a video conferencing proceeding shall do so by making a request in the form prescribed in schedule II.
- (2) In the civil cases, any proposal to move a request to for video conferencing should first be discussed with the other party or parties to the proceeding, except where not possible or inappropriate, for example in cases such as urgent applications. However the court may, as its discretion, initiate process for hearing or any case through video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.

- On receipt of such a request and upon hearing all concerned persons the court will pass an appropriate order after ascertaining that the application is not filed with an intention to impede a fair trial or to delay the proceedings.
- While allowing a request for video conferencing the Court may also fix the schedule for convening the video conferencing.
- (5) In case the video conferencing event is convened for making oral submissions, the order may require the advocate or party in person to submit written arguments and precedents, if any, in advance on the official email ID of the court concerned.
- (6) Costs, if directed to be paid, shall be deposited within the prescribed time, commencing from the date on which the order convening proceedings through video conferencing is received.

#### 7. Service of Summons.-

Summons issued to a witness who is to be examined through video conferencing, shall mention the date, time and venue of the concerned Remote Point and shall direct the witness to attend in person along with proof of identity or an affidavit to that effect. Such summons may be served through electronic means. However, the existing rules regarding service of summons and the consequences for non-attendance, as provided in the C.P.C. and Cr.P.C. shall apply with respect to service of summons for proceedings conducted by video conferencing.

# 8. Examination of persons through video conferencing and other modes of audio-visual electronic linkage.-

(1) Any person being examined, including a witness shall before being examined through video conferencing, produce and submit proof of identity by submitting and identity document issued or duly recognized by the Government of India, State Government, Union Territory, or in the absence of such a document, an affidavit attested by any of the authorities referred to in section 139 of the C.P.C. or section 297 of the Cr.P.C. as the case may be. The affidavit will inter alia state that the person who is shown to be the party to the proceedings or as a witness, is the same person, who is to depose at the virtual hearing. A copy of the proof of identity or affidavit, as the case may be, will be made available to the opposite party:

Provided that in absence of identity proof as required in subrule (1) the identity of the person required to be present or appear shall be confirmed by the court with the assistance of the co-ordinator at remote point at the time of proceedings through video conferencing.

- (2) The person being examined will ordinarily be examined during the working hours of the court concerned or at such time as the court may deem fit. The oath will be administered to the person being examined by the coordinator at the Court Point.
- (3) Where the person being examined or accused to be presented is in custody, the statement or, as the case may be, the testimony may be recorded through video conferencing. The court shall provide adequate opportunity to the under-trial prisoner to consult with their counsel before and after the video conferencing.
- (4) Subject to the provisions for examination of witnesses contained in the Evidence Act, before the examination of the witness, the documents, if any, sought to be relied upon shall be transmitted by the applicant to the witness so that the witness acquires familiarity with the said documents. The applicant will submit an acknowledgement with the court in this behalf.
- (5) If a person is examined with reference to a particular document then the summon to witness must be accompanied by a duly certified photocopy of the document. The original document should be exhibited at the Court Point in accordance with the deposition of the concerned person being examined.
- (6) The court would be at liberty to record the demeanour of the person being examined.
- (7) The court will note the objections raised during the deposition of the person being examined and rule on them.
- (8) The Court shall obtain the signature of the person being examined on the transcript once the examination is concluded. The signed transcript will form part of the record of the judicial proceedings. The signature on the-transcript of the person being examined shall be obtained in either of the following ways.-
- (a) If digital signatures are available at both the concerned Court Point and Remote Point, the soft copy of the transcript digitally signed by the presiding judge at the Court Point shall be sent by the official email to the Remote Point where a print out of the same will be taken and signed by the person being examined. A scanned copy of the transcript digitally signed by the coordinator at the Remote Point would be transmitted by official email of the Court Point. The hard copy of the signed transcript will be dispatched after the testimony is over, preferably within three days by the coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered

speed post.

- (b) If digital signatures are not available, the printout of the transcript shall be signed by the presiding Judge and the representative of the parties, if any, at the Court Point and shall be sent in non-editable scanned format to the official email account of the remote point where a printout of the same will be taken and signed by the person examined and countersigned by the Coordinator at the Remote Point. A non-editable scanned format of the transcript so signed shall be sent by the Coordinator of the Remote Point to the official email account of the Court Point where a print out of the same will be taken and shall be made a part of the judicial record. The hard copy would also be dispatched preferably within three days by the Coordinator at the Remote Point to the Court Point by recognised courier/registered speed post.
- (9) An audio-visual recording of the examination of witnesses shall be prepared at the Court point. An encrypted master copy with hash value shall be retained as a part of the record.
- (10) The court may, at the request of a person to be examined, or on its own motion, taking into account the best interest of the person to be examined, direct appropriate measures to protect the privacy of the person examined bearing in mind aspects such as age, gender, physical condition and recognized customs and practices.
- (11) The coordinator at the Remote Point shall ensure that no person is present at the Remote Point, save and except the person being examined and those whose presence is deemed administratively necessary by the coordinator for the proceedings to continue.
- (12) The court may also impose such other conditions as are necessary in a given set of facts for effective recording of evidence (especially to ensure compliance with rule 5 (6) (d).
- (13) The examination shall as far as practicable, proceed without interruption or the grant of unnecessary adjournments. However, the court or the commissioner as the case may be will be at liberty to determine whether an adjournment should be granted, and if so, on what terms.
- (14) The court shall be guided by the provisions of the C.P.C. and Chapter XXIII, Part B of the Cr.P.C., the Evidence Act and the IT Act while examining a person through video conferencing.
- (15) Where a Required Person is not capable of reaching the Court Point or the Institutional Remote Point due to sickness or physical infirmity, or

whose presence cannot be secured without undue delay or expense, the court may authorize conduct of video conferencing from the place at which such person is located. In such circumstances the court may direct the use of portable video conferencing systems. Authority on this behalf may be given to the concerned coordinator and/or any person deemed fit by the court.

- (a) If the court thinks fit, the required person may be permitted by the court to connect through video conferencing or other modes of audio-visual electronic linkage from the place of his residence or work.
- (16) Subject to such orders as the court may pass, in case any party or person authorized by the party is desirous of being physically present at the Institutional Remote Point at the time of recording of the testimony, such party shall make its own arrangement for appearance/representation at the remote point.
- (17) Where the court is of opinion, for the reasons recorded that, without showing the document (s) evidence of the witness cannot be effectively recorded, may decline to examine such witness through video conferencing.

# 9. Exhibiting or showing documents to witness or accused at a Remote Point.-

If in the course of examination of a person at a Remote Point by video conferencing, it is necessary to show a document to the person, the Court may permit the document to be shown in the following manner:

- (1) if the document is at Court Point, by transmitting a copy or image of the document to the Remote Point electronically, including by email and thereafter taking a printout of it at the Remote Point;
- (2) if the document is at the Remote point, by transmitting a copy (not editable)/image of the same to the Court Point electronically including by email. The hard copy of the document counter signed by the witness and the coordinator at the Remote Point shall be dispatched to the Court Point via authorized courier/registered speed post.

# 10. Ensuring seamless video conferencing.-

- (1) The advocate or Required Person shall address the court by video conferencing from a specified Remote Point on the date and time specified in the order issued by the court.
- (2) If the proceedings are carried out from any of the remote point (s) (in situations described in rules 5(3) (a) to 5(3) (i) the Coordinator at

- such Remote Point shall ensure compliance of all technical requirements, However, if the proceedings are conducted from a Remote Point falling in the situation contemplated under Rules 5 (3) (j) such as an advocate's office, the coordinator at the Court Point shall ensure compliance of all technical requirements for conducting video conferencing at both the Court Point and the remote point.
- (3) The coordinator at the Court Point shall be in contact with the concerned advocate or the Required Person and guide them in regard to the fulfilment of technical and other requirements for executing a successful hearing through video conferencing. Any problem faced by such Remote Users shall be resolved by the Court Point Coordinator. The Court Point Coordinator shall inter alia share the link of the video conferencing hearing with such Remote Users.
- (4) The coordinator at the Court Point shall ensure that any document or audio-visual files, emailed by the Remote User, are duly received at the Court Point.
- (5) The coordinator at the Court Point shall also conduct a trial video conferencing preferably 30 minutes prior to scheduled video conferencing in order to ensure that all the technical system are in working condition at both the Court Point and the Remote Point.
- (6) At the scheduled time, the coordinator at the Court Point shall connect the Remote User to the court.
- (7) On completion of the video conferencing proceeding the court shall mention in the order sheet, the case conducted through video conferencing.
- (8) The court shall also record its satisfaction as to clarity, sound and connectivity for both Court Users and Remote Users.
- (9) On the completion of video conferencing, if a Remote User is of the opinion that they were prejudiced due to poor video and/or audio quality, the Remote User shall immediately inform the coordinator at the Court Point, who shall in turn, communicate this information to the court without any delay. The court shall consider the grievance and if it finds substance in the grievance may declare the hearing to be incomplete and the parties may be asked to re-connect or make a physical appearance in court.

### 11. Examination of accused and witnesses.-

(1) The court may, at its discretion, authorize detention (except first

- judicial remand and police remand) of an accused, by video conferencing or other modes of audio-visual electronic linkage.
- (2) Save as otherwise provided the court may, for reasons to be recorded in writing, examine a witness or frame the charges in criminal trial or examine a witness u/s 164 of Cr.P.C or record the statement of the accused under section 313 Cr.P.C through video conferencing while observing all due precautions to ensure that the witness or the accused as the case may be is free from any form of coercion, threat or undue influence.
- (3) In plea bargaining matters, on an application from an accused not previously convicted, the court may in its discretion arrange a meeting of accused with the victim through video conferencing. The court may provide an opportunity to the pleaders of respective parties to participate in the meeting where, after the meeting, a satisfactory disposal of the case is probable, the court shall record this fact and may, in its discretion, dispose of the case on the basis of plea-bargaining, as per law.

# Chapter IV General Procedure

## 12. General procedures.-

- (1) The procedures set out hereinafter in this chapter is without prejudice to the procedure indicated elsewhere in these rules qua specific instances in which proceedings are conducted via video conferencing.
- (2) The coordinator at the Court Point shall ensure that video conferencing is conducted only through a Designated Video Conferencing Software. However, in the event of a technical glitch, the concerned court may for reasons to be recorded permit the use of a software other than the Designated Video Conferencing Software for video conferencing in that particular proceeding.
- (3) The identity of the person to be examined shall be confirmed by the court with the assistance of the coordinator at the Institutional Remote Point in accordance with Rule 8(1) at the time of recording of the evidence and the same must be reflected in the order sheet of the court.
- (4) In civil cases, parties requesting for recording statements of the person to be examined by video conferencing shall confirm to the court, the location of the person, the willingness of such person to

be examined through video conferencing and the availability of technical facilities for video conferencing at the agreed upon time and place.

- (5) In criminal cases, where the person to be examined is a prosecution witness or a court witness or a person is to make submission for prosecution or where a person to be examined is a defence witness or a person is to make submission for defence, the counsel for the prosecution or defence counsel or the accused, as the case may be shall confirm to the court the location of the person, willingness to be examined by video conferencing and the time, place and technical facility for such video conferencing.
- (6) In case the person to be examined or appeared is an accused, the prosecution/defence counsel will confirm the location of the accused at the Remote Point.
- (7) If the accused is in custody and not present at the Court Point, the court will order a multi-point video conference between itself, the witness and the accused in custody to facilitate recording of the statement of the witness (including medical or other expert). The Court shall ensure that the defence of the accused is not prejudiced in any manner and that the safeguards contained in Rule 8 (3) are observed.
- (8) Whenever required, the coordinator at the Remote Point shall be paid such amount as honorarium as may be directed by the court in consultation with the parties.

## 13. Costs of Video Conferencing.

In the absence of rules prescribed by the concerned court, the court may take into consideration following circumstances when determining and/or apportioning the costs of video conferencing:

- (1) In criminal cases, the expenses of the video conferencing facility including expenses involved in preparing soft copies/certified copies of the court record and transmitting the same to the coordinator at the Remote Point, and the fee payable to translator/interpreter/special educator, as the case may be, as also the fee payable to the coordinator at the Remote Point, shall be borne by such party as directed by the court.
- (2) In civil cases, generally, the party making the request for recording evidence, through video conferencing shall bear the expenses.
- (3) Besides the above, The court may also make an order as to expenses as it considers appropriate, taking into account rules/instructions

- regarding payment of expenses to the complainant and witnesses, as may be prevalent from time to time.
- (4) It shall be open to the Court to waive the costs as warranted in a given situation.

# 14. Conduct of Proceedings.-

- (1) All advocates, Required Persons, the party in person and/or any other person permitted by the Court to remain physically or virtually present (hereinafter collectively referred to as participants) shall be abide by the requirements set out in Schedule-I.
- Before the commencement of video conferencing all participants, shall have their presence recorded. However, in case a participant is desirous that their face or name be masked, information to that effect will be furnished to the Court Point Coordinator prior to the commencement of the proceeding.
- (3) The Court Point Coordinator shall send the link/Meeting ID/Room Details via the email id/mobile number furnished by the advocate or Required Person or other participant permitted to be virtually present by the Court. Once the proceeding have commenced, no other persons will be permitted to participate in the virtual hearing, save and except with the permission of the court.
- (4) The participants, after joining the hearing shall remain in the virtual lobby if available, until they are admitted to virtual hearing by the coordinator at the Court Point.
- (5) Participation in the proceedings shall constitute consent by the participants to the proceedings being recorded by video conferencing.
- (6) Establishment and disconnection of links between the Court Point and the Remote Point would be regulated by orders of the court.
- (7) The court shall satisfy itself that the advocate, Required person or any other participant that the court deems necessary at the Remote Point or the Court Point can be seen and heard clearly and can clearly see and hear the court.
- (8) To ensure that video conferencing is conducted seamlessly, the difficulties, if any, experienced in connectivity must be brought to the notice of the court at the earliest on the official email address and mobile number of the Court Point coordinator which has been furnished to the participant before the commencement of the virtual hearing. No complaint shall be entertained subsequently.
- (9) Wherever any proceeding is carried out by the court under these

rules by taking recourse to video conferencing, this shall specifically be mentioned in the order sheet.

## 15. Access to Legal Aid Clinics/Camps/Lok Adalats/Jails Adalats.-

- (1) In conformity with the provisions of the Legal Services Authorites Act, 1987 and the laws in force, in proceedings related to Legal Aid Clinics, Camps, Lok Adalats or Jail Adalats, any person who at the Remote Point is in Jail or Prison shall be examined by the Chairman/Secretary of the District Legal Service Authority or Taluka Legal Service Committee or Members of Lok Adalats before passing any award or orders in accordance with law.
- (2) Such award or order shall have the same force as if it was passed by the regular Lok Adalat or Jail Adalat.
- (3) Copy of the award or order and the record of proceeding shall be sent to the Remote Point.

#### 16. Third Parties to the case.-

- (1) Third parties will be allowed to remain present during video conferencing upon a specific order being issued by the concerned court. Each court shall be guided by such general or special orders made in that regard by the Chief Justice of the High Court in exercise of their administrative jurisdiction.
- (2) Where, for any reason, a person unconnected with the case is present at the Remote Point, that person shall be identified by the coordinator at the Remote Point at the start of the proceedings and the purpose of the presence of that person shall be conveyed to the court. Such a person shall continue to remain present only if ordered so by the court.

### Chapter V Miscellaneous

#### 17. Power to Relax.-

The Chief Justice may, if satisfied that the operation of any rule is causing undue hardship, by an order dispense with or relax the requirements of the rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case in a just and equitable manner.

#### 18. Repeal and Savings.-

The District Court of Madhya Pradesh Video Conferencing Rules, 2018 and guidelines, if any, corresponding to these Rules, in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so

repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

#### 19. Residual Provisions.-

Matters with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be decided by the court consistent with principle of furthering the interest of justice.

#### SCHEDULE-I

- 1. All participants shall wear sober attire consistent with the dignity of the proceedings. Advocates shall be appropriately dressed in professional attire prescribed under the Advocates Act, 1961. Police officials shall appear in the uniform prescribed for police officials under the relevant statute or orders. The attire for judicial officers and court staff will be as specified in the relevant rules prescribed in that behalf by the High Court. The decision of the Presiding Judge or officer as to the dress code will be final.
- 2. The case will be called out and appearances shall be recorded on the direction of the court.
- 3. Every participant shall adhere to the courtesies and protocol that are followed in a physical court. Judges will be addressed as "Madam/Sir" or "Your Honour". Official will be addressed by their designation such as "Reader /Execution Clerk/Court Master/Stenographer/Deposition Writer". Advocates will be addressed as "Learned Counsel/Senior Counsel".
- 4. Advocates, Required Persons, parties in person and other participants shall keep their microphones muted till such time as they are called upon to make submissions.
- 5. Remote Users shall ensure that their devices are free from malware.
- 6. Remote Users and the Coordinator at the Remote Point shall ensure that the Remote Point is situated in a quiet location, is properly secured and has sufficient internet coverage. Any unwarranted disturbance caused during video conferencing may, if the presiding Judge so directs, render the proceedings non-est.
- 7. All participants' cell phones shall remain switched off or in air plane mode during the proceedings.
- 8. All participants should endeavour to look into the camera, remain attentive and not engage in any other activity during the course of the proceedings.

# SCHEDULE-II Request form for Video Conference

l.	Case Number/CNR Number (if any)			
2.	Cause Title	٠.		
3.	Proposed Date of conference (DD/MM/YYYY)			
4.	Location of the Court Point (s):			
5.	Location of the Remote Point (s):			
6.	Names & Designation of the Participants at the Remo	te Poi	nt:	
7	Reasons for Video Conferencing:	٠.		
	In the matter of:			
8	Nature of Proceedings: Final Hearing Interi	m Hea	ring	
	Others			
	I have read and understood the provisions of I	Rules	for	Video
	I have read and understood the provisions of I Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to			
		remai	n bot	ınd by
,	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to	remai	n bot	ınd by
•	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree	remai	n bot	ınd by
,	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.  Signature of the applicant/authorised signatory:	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.  Signature of the applicant/authorised signatory:	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.  Signature of the applicant/authorised signatory:	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.  Signature of the applicant/authorised signatory:  Date:	remai	n bot	ınd by
	Conferencing for Courts (hyperlink). I undertake to the same to the extent applicable to me. I agree conferencing charges, if so directed by the Court.  Signature of the applicant/authorised signatory:  Date:  For use of Court Point Coordinator	remai	n bot	ınd by

Commencement 1	ime:	
End Time:		

Number of hours:

C) Costs:

Overseas transmission charges if any:

To be incurred by Applicant/Respondent:

To be shared equally:

Waived; as ordered by the Court:

Signature of the authorised officer:

Date:

By Registrar General, the High Court of Madhya Pradesh, RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.